न्यायमूर्ति राजेन्द्र नाथ मित्तल के समक्ष,

दीप चंद,-याचिकाकर्ता।

बनाम

कृष्ण दत्त-प्रतिवादी.

1979 का सिवल संशोधन संख्या 1735।

14 नवंबर 1979.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - धारा 151 और आदेश 41 नियम 5 - कब्ज़ा डिक्री के लिए मुकदमा - निर्णय-देनदार अपील दाखील और निष्पादन पर रोक प्राप्त करना - डिक्री धारक ने स्टे आदेश के संचार से पहले कब्ज़ा कर लिया - निर्णय-देनदार द्वारा आवेदन कब्जे की बहाली के लिए - कया बाध्य हो। कब्ज़ा बहाल करने के लिए - स्थगन आदेश के बाद की कार्यवाही - कब रद्द किया जाना है।

अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 5 की व्याख्या में प्रावधान है कि डिक्री के निष्पादन पर रोक के लिए अपीलीय अदालत का आदेश प्रथम दृष्टया अदालत को ऐसे आदेश के संचार की तारीख से प्रभावी होगा। यदि डिक्री धारक को कब्जा सौंपे जाने के बाद स्थगन आदेश निष्पादन न्यायालय को सूचित किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि स्थगन आदेश उस तारीख से प्रभावी हो गया है जब कब्जा एमएम. को दिया गया था। यदि न्याय के हित में आवश्यक हो तो स्थगन आदेश के बाद अंतरिम कार्यवाही को कार्यकारी अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है। हालाँकि, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक मामले में जहां स्थगन आदेश को कार्यकारी अदालत के ध्यान में लाया जाता है, उसे स्थगन देने के बाद उसके द्वारा उठाए गए कदमों को वापस लेना आवश्यक है। यह निर्धारित करने के लिए कि अंतरिम कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा और यदि अंतरिम कार्यवाही के कारण निर्णय-देनदार को बड़ी कठिनाई हुई है, तो अदालत अंतरिम कार्यवाही को रद्द कर सकती है, अन्यथा नहीं। (पैरा 4)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री एम. पी. मेहंदीरत्ता, उप-न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, पानीपत के 5 जून, 1979 के विरुद्ध जिसमे धारा 151 सी.पी.सी. के तहत 24 जुलाई, 1978 को निर्णय देनदार द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के वकील सी. बी. गोयल।

प्रतिवादी की ओर से के.जी. चौधरी, अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति आर.एन.मित्तल, (मौखिक)

(1) यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायाधीश, पानीपत के 5 जून 1979 के निर्णय के विरुद्ध निर्णय-देनदार दीप चंद द्वारा दायर की गई है।

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि वादी ने कब्जे के लिए मुकदमा कायम किया। इसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वादी उस फैसले के खिलाफ अपीलीय अदालत में अपील करने गया, जिसने उसे स्वीकार कर लिया और वादी के मुकदमे पर फैसला सुनाया। अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ प्रतिवादी इस अदालत में नियमित दूसरी अपील में आया। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि अपील का निर्णय होने तक डिक्री के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जाये। 18 जुलाई, 1978 को अपील स्वीकार कर ली गई और प्रतिवादी के पक्ष में स्टे दे दिया गया। 20 जुलाई, 1978 को जब स्थगन आदेश की सूचना ट्रायल कोर्ट को नहीं दी गई, तो डिक्री-धारक द्वारा कब्ज़ा ले लिया गया। इसके बाद, निर्णय-देनदार द्वारा सिवल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन किया गया था, जिस पर स्थगन आदेश था। 18 जुलाई, 1978 को उनके पक्ष में मंजूरी दे दी गई और इसलिए, कब्ज़ा उन्हें बहाल किया जाए। उस आवेदन का डिक्री-धारक द्वारा विरोध किया गया था। विद्वान न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। निर्णय-देनदार इस न्यायालय में उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण में आया है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि अपीलीय अदालत द्वारा निष्पादन पर रोक लगा दी गई है और निष्पादन अदालत को उस आदेश के संचार से पहले, डिक्री-धारक को कब्ज़ा दे दिया गया है, तो इसे बहाल किया जाना चाहिए कि यदि निर्णय-देनदार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर करता है। अपने तर्क के समर्थन में, वह **मूलराज बनाम मूर्ति रघुनाथ महाराज**[1], (1) और **श्रीमती सूरज कौर बनाम शिंगारा सिंह और अन्य**[2] पर भरोसा करते हैं।

(4) मैंने विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुना है। हालाँकि, मुझे श्री गोयल के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थता पर खेद है। यह सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 5 के स्पष्टीकरण में प्रदान किया गया है।

---

[1] एआईआर 1967 एस.सी. 1386

[2] 1972 पी.एल.आर. 609.

अपीलीय अदालत द्वारा डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश प्रथम दृष्टया अदालत को ऐसे आदेश के संचार की तारीख से प्रभावी होगा। माना जाता है कि, वर्तमान मामले में डिक्री धारक को कब्ज़ा सौंपे जाने के बाद स्थगन आदेश निष्पादन न्यायालय को सूचित किया गया था। इस प्रकार, स्थगन आदेश उस तारीख पर प्रभावी नहीं हुआ जब कब्ज़ा डिक्री-धारक को सौंपा गया था। इन परिस्थितियों में, अब यह देखना होगा कि निर्णय-देनदार कब्ज़ा वापस लेने का हकदार है या नहीं। श्री गोयल ने मूलराज के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा जताया है: -

> "यद्यपि जो अदालत निष्पादन कर रही है, वह स्थगन आदेश पारित होने के क्षण में अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं है, भले ही उसे इसके बारे में कोई जानकारी न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि जब अदालत को इसकी जानकारी हो जाती है, तो वह उस पक्ष के साथ होने वाले किसी भी संभावित अन्याय को पूर्ववत करने में असमर्थ है, जिसके पक्ष में उस अवधि के दौरान सटे आदेश पारित किया गया था जब तक कि अदालत को स्थगन आदेश की जानकारी नहीं हो जाती। हमारी राय है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 डिक्री निष्पादित करने वाली अदालत के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी, ऐसे मामले में जब स्थगन आदेश उसके संज्ञान में लाया जाता है तो वह हमेशा धारा 151 के तहत कार्य कर सकती है, और निर्धारित कर सकती है। स्थगन आदेश पारित होने के समय और उसके संज्ञान में लाए जाने के समय के बीच उठाए गए कदमों के अलावा, यदि न्याय के लिए यह आवश्यक है और संबंधित पक्ष ऐसा करने के लिए कहता है। हालाँकि, इसलिए, हमारी राय में डिक्री निष्पादित करने वाली अदालत को निष्पादन जारी रखने के अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे स्थगन आदेश की जानकारी न हो, हमारी राय में अदालत के पास उस समय के बीच की गई कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है जब स्थगन आदेश पारित किया गया था और वह समय जब इसे उसके संज्ञान में लाया गया था, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया है और वह मानता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि अंतरिम कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यह केवल वही अदालत कर सकती है जिसने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत न्याय के हित में अंतरिम कार्यवाही शुरू की है, बशर्ते आदेश उसकी जानकारी में लाया गया हो और अंतरिम कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उचित समय में प्रार्थना की गई हो। अन्यथा, हमारी राय में अंतरिम कार्यवाही निरर्थक नहीं है और धारा 151 के तहत डिक्री को निष्पादित करने वाली अदालत द्वारा शक्ति के ऐसे प्रयोग के अभाव में, वे सभी उद्देश्यों के लिए अच्छे बने रहते हैं।

उपरोक्त टिप्पणियों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि न्याय के हित में यदि आवश्यक हो तो स्थगन आदेश उसके संज्ञान में लाए जाने के बाद न्यायालय अंतरिम कार्यवाही को रद्द कर सकता है। इसने हर उस मामले में निर्धारित नहीं किया है कि जहां स्थगन आदेश को कार्यकारी अदालत के ध्यान में लाया जाता है, स्थगन दिए जाने के बाद उसके द्वारा उठाए गए कदमों को वापस लेना आवश्यक है। यदि उस व्याख्या को लिया जाता है, तो आदेश 41 नियम 5 की व्याख्या अपना सारा महत्व खो देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 'न्याय का हित' शब्द पर मुख्य जोर दिया है। यह निर्धारित करने के लिए कि अंतरिम कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करना होगा। यदि अंतरिम कार्यवाही से निर्णय-देनदार को बहुत कठिनाई हुई है, तो न्यायालय अंतरिम कार्यवाही को रद्द कर सकता है अन्यथा नहीं।

(5) वर्तमान मामले में भूमि का कब्ज़ा डिक्री धारक को सौंप दिया गया है। बहाली के आवेदन में किसी असाधारण कठिनाई का आरोप नहीं लगाया गया है। बाद में यह साबित भी नहीं होता। इस मामले की परिस्थितियों में, मुझे नहीं लगता कि निर्णय-देनदार को कोई कठिनाई तो क्या बड़ी कठिनाई भी हुई है। इसलिए, वह संपत्ति पर कब्ज़ा बहाल करने का हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी।

(6) श्रीमती सूरज कौर मामले के तथ्य अलग है। उस मामले में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता श्रीमती दुर्गा देवी की मृत्यु हो गई थी। श्रीमती सूरज कौर और उसकी बहन के बेटे हरमिंदर सिंह ने मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन किया था। श्रीमती सूरज कौर के आवेदन को बर्खास्त कर दिया गया और हरमिंदर सिंह को स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती सूरज कौर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण में आईं और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना की। इस न्यायालय ने स्थगन दे दिया। स्थगन आदेश अपीलीय अदालत को सूचित किया गया था। स्थगन आदेश की सूचना के बावजूद, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपील का फैसला किया। पुनरीक्षण याचिका अंततः न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई। उपरोक्त परिस्थितियों में, न्यायालय ने आदेश दिया कि अपील पर नए सिरे से निर्णय लिया जाए। तथ्यों के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा टिप्पणियाँ एक अलग संदर्भ में की गई थीं। इसलिए, इस फैसले से याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी।

(7) उपरोक्त कारणों से पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और उसे जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाता है। लागत रु. 150/-.

एन.के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी